MAINS MATRIX

विषयसूची

1. **क्या नकद हस्तांतरण महिलाओं की एजेंसी का निर्माण करते हैं?**
2. **ग्रेट निकोबार प्रकृति के कानूनी अधिकारों के मुद्दे को पुनर्जीवित करता है**
3. **भारत और ब्रिटेन ने व्यापार संबंधों को बिना हंगामे के गहरा किया**

क्या नकद अंतरण (Cash Transfers) महिलाओं की एजेंसी का निर्माण करते हैं?

भूमिका (Introduction)

भारत में नकद अंतरण और वित्तीय समावेशन योजनाएँ महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रमुख उपकरण के रूप में उभरी हैं। ये योजनाएँ जहाँ तत्काल आर्थिक राहत और वित्तीय पहुँच प्रदान करती हैं, वहीं बड़ा प्रश्न यह है कि क्या ये पहल वास्तव में महिलाओं की **'एजेंसी'** — अर्थात् निर्णय लेने, संसाधनों को नियंत्रित करने और अपने जीवन पर प्रभाव डालने की क्षमता — को बढ़ाती हैं?

मुख्य तर्क (Central Thesis):
नकद अंतरण और वित्तीय समावेशन सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रथम कदम हैं, परंतु वास्तविक सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिलाएँ उस धन को **नियंत्रित, विकसित और स्थायी रूप से उपयोग** कर सकें — केवल प्राप्त करने तक सीमित न रहें।

---

1. नीतिगत परिप्रेक्ष्य और प्रमुख पहलें (Policy Context and Key Initiatives)

भारत की कल्याणकारी योजनाओं की संरचना लगातार महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभार्थी के रूप में केंद्र में रख रही है।

राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय योजनाएँ:

- **बिहार:** *मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना* — 75 लाख महिलाओं को आत्म-रोजगार हेतु ₹1 लाख की पूँजी सहायता।
- **कर्नाटक:** *गृह लक्ष्मी योजना* — महिला मुखिया को मासिक आर्थिक सहायता।
- **पश्चिम बंगाल:** *लक्ष्मी भंडार योजना* — महिलाओं के लिए न्यूनतम आजीविका सहायता।
- **मध्य प्रदेश:** *लाड़ली बहना योजना* — महिलाओं को मासिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण।
- **तेलंगाना:** *महालक्ष्मी योजना* — आय, पोषण और स्वास्थ्य को जोड़ने वाली एकीकृत योजना।

सक्षम बुनियादी ढाँचा (Enabling Infrastructure):

MENTORA IAS "YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

भारत की *प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)* प्रणाली **JAM त्रिमूर्ति** पर आधारित है:

- **जन धन खाते**
- **आधार पहचान**
- **मोबाइल कनेक्टिविटी**

यह ढाँचा धनराशि को सीधे और पारदर्शी तरीके से महिलाओं के खातों में पहुँचाता है।

---

2. प्रगति और सकारात्मक संकेतक (Progress and Positive Indicators)

- **वित्तीय समावेशन की उपलब्धियाँ:**
    - अगस्त 2025 तक **56 करोड़ जन धन खाते** खोले गए, जिनमें से **55.7% महिलाओं** के नाम पर हैं।
    - **89% भारतीय महिलाओं** के पास अब बैंक खाता है — जो विकसित देशों के समान और वैश्विक औसत (77%) से अधिक है।
- **समावेशन के पीछे प्रेरणा:**
    - **54% महिलाओं** ने पहली बार सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक खाता खोला — यह दर्शाता है कि सरकारी योजनाएँ औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ने का माध्यम बनीं।
- **एजेंसी में वृद्धि:**
    - महिला के नाम पर आय होने से उसकी **घरेलू निर्णय लेने की शक्ति** बढ़ती है और यह बच्चों व बुजुर्गों के कल्याण में भी सुधार लाता है।

---

3. महिलाओं की एजेंसी में बनी चुनौतियाँ और खाइयाँ (Persistent Challenges and Gaps in Agency)

हालाँकि खातों की संख्या बढ़ी है, परंतु महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता अभी भी सामाजिक और संरचनात्मक बाधाओं से सीमित है।

(a) निष्क्रिय खाते:

लगभग **20% महिला खाते निष्क्रिय** हैं — धन की कमी, जागरूकता की कमी या बैंकिंग व्यवस्था से असुविधा के कारण।

(b) सीमित उपयोग:

अधिकांश खाते केवल **नकद निकासी** के लिए उपयोग किए जाते हैं; बचत, ऋण या डिजिटल भुगतान के लिए नहीं।

MENTORA IAS "YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

वित्तीय गतिविधि	**महिलाओं की भागीदारी (%)**
धन निकासी/भेजना	30%
बैंक में बचत	21.2%
कार्ड/मोबाइल से भुगतान	17.8%
यूटिलिटी बिल भुगतान	7.8%
व्यवसाय हेतु ऋण	8.4%

(c) डिजिटल और मोबाइल खाई (Digital Divide):

- महिलाएँ **19% कम संभावना** रखती हैं कि उनके पास मोबाइल फोन हो।
- **मुख्य बाधाएँ:** सुरक्षा चिंताएँ (38%), साझा फोन (34%), सिम उनके नाम पर नहीं (33%), पारिवारिक नियंत्रण (31%)।
- **गोपनीयता, डिजिटल साक्षरता और विश्वास की कमी** स्वतंत्र डिजिटल बैंकिंग में बाधा बनती है।

(d) वित्तीय निर्भरता:
लगभग **दो-तिहाई महिलाएँ** अभी भी वित्तीय लेन-देन के लिए पुरुष रिश्तेदारों पर निर्भर हैं, जिससे उनकी स्वायत्तता सीमित होती है।

4. महिलाओं की वित्तीय एजेंसी निर्माण का मार्ग (Building Women's Financial Agency: The Way Forward)

वित्तीय पहुँच को सशक्तिकरण में बदलने के लिए नीतियों को महिलाओं के नियंत्रण और स्वामित्व से जोड़ना आवश्यक है।

1. **संपत्ति पर नियंत्रण सुदृढ़ करें:**
   - महिलाओं को **संयुक्त भूमि और संपत्ति अधिकार** प्रदान करें।
   - संपत्ति को **क्रेडिट और उद्यमिता के लिए जमानत** के रूप में उपयोग की अनुमति दें।
2. **डिजिटल पहुँच बढ़ाएँ (JAM के 'M' को मजबूत करें):**
   - महिलाओं के लिए **सस्ते स्मार्टफोन और डेटा प्लान** उपलब्ध कराएँ।
   - **डिजिटल सुरक्षा और गोपनीयता** पर जन-जागरूकता बढ़ाएँ।
3. **लिंग-संवेदनशील वित्तीय उत्पाद:**
   - बैंक और फिनटेक कंपनियाँ महिलाओं की **अनौपचारिक, मौसमी आय** के अनुरूप उत्पाद विकसित करें।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- **स्थानीय भाषा और सरल इंटरफेस** का उपयोग करें।

4. **विश्वास नेटवर्क विकसित करें:**
   - **डिजिटल बैंकिंग सखियों**, स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक सहयोग नेटवर्क का विस्तार करें।

5. **महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाएँ:**
   - देश के **1.3 मिलियन बैंकिंग प्रतिनिधियों** में महिलाओं की भागीदारी **10% से कम** है।
   - उनकी संख्या बढ़ाने से **विश्वास और पहुँच दोनों में सुधार** होगा।

---

5. निष्कर्ष (Conclusion)

नकद अंतरण और वित्तीय समावेशन नीतियों ने निस्संदेह महिलाओं की वित्तीय पहुँच बढ़ाई है, परंतु **पहुँच ही एजेंसी नहीं है**।
वास्तविक सशक्तिकरण तब होगा जब महिलाएँ अपने वित्तीय संसाधनों को **स्वयं के निर्णय, स्वामित्व और प्रबंधन** से जोड़ सकें।

सारतः, सशक्तिकरण तब शुरू होता है जब महिलाएँ यह तय कर सकें कि **पैसे का उपयोग कैसे और क्यों करना है**, न कि केवल जब वे उसे प्राप्त करती हैं।

HOW TO USE

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर I (भारतीय समाज)

1. महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका:

- **कैसे उपयोग करें:** यह सबसे सीधा फिट है। पूरा लेख महिलाओं की सामाजिक भूमिका बढ़ाने में राज्य के हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता मापने के बारे में है।
- **मुख्य बिंदु:**
  - **लाभार्थी से एजेंट तक:** इस डेटा का उपयोग यह तर्क देने के लिए करें कि हालांकि योजनाएं महिलाओं को राज्य समर्थन की लाभार्थी बनाती हैं, सामाजिक बाधाएं (डिजिटल विभाजन, पारिवारिक प्रतिबंध) उन्हें स्वतंत्र आर्थिक एजेंट बनने से रोकती हैं।
  - **सामाजिक मानदंड बनाम नीति:** इस बात पर प्रकाश डालें कि कैसे सामाजिक संरचनाएं (जैसे, बैंकिंग के लिए दो-तिहाई महिलाओं का पुरुष रिश्तेदारों पर निर्भर होना) अच्छे इरादों वाली नीतियों को कमजोर कर सकती हैं। यह सशक्तिकरण पर पितृसत्तात्मक बाधाओं की गहरी जड़ों की समझ दर्शाता है।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर II (शासन, सामाजिक न्याय)

1. जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं:

- **कैसे उपयोग करें:** महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं की सफलता और सीमाओं का मूल्यांकन करने के लिए यह सामग्री आदर्श है।
- **मुख्य बिंदु:**
  - **वितरण में सफलता:** रिसाव-मुक्त सीधे हस्तांतरण प्राप्त करने में जेएएम ट्रिनिटी की सफलता को स्वीकार करें, जो एक बड़ा शासन सुधार है।
  - **प्रभाव में सीमाएँ:** निष्क्रिय खातों (20%) और खातों के सीमित कार्यात्मक उपयोग (केवल 17.8% डिजिटल भुगतान का उपयोग करते हैं) की ओर इशारा करके योजनाओं की आलोचना करें। यह दर्शाता है कि आप केवल योजनाओं की सूची बनाने के बजाय परिणामों का विश्लेषण कर सकते हैं।
  - **आगे का रास्ता - नीति सुझाव:** "आगे का रास्ता" अनुभाग ठोस, कार्रवाई योग्य नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है (जैसे, संयुक्त भूमि स्वामित्व, सब्सिडी वाले स्मार्टफोन, महिला व्यवसाय संवाददाताओं की संख्या बढ़ाना) जिन्हें सीधे जवाबों में उद्धृत किया जा सकता है।

2. विकास प्रक्रियाएँ और विकास उद्योग:

- **कैसे उपयोग करें:** लेख वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया और सशक्तिकरण के परिणाम के बीच की खाई को उजागर करता है।
- **मुख्य बिंदु:**
  - **मानव विकास बनाम आर्थिक संकेतक:** तर्क दें कि 89% बैंक खाता स्वामित्व एक सकारात्मक आर्थिक संकेतक है, लेकिन सच्चे मानव विकास के लिए उस खाते का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान में गायब है।
  - **लिंग और विकास:** यह विश्लेषण करने के लिए एक उत्कृष्ट केस स्टडी है कि कैसे विकास कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए लैंगिक लेंस के

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

साथ डिजाइन किया जाना चाहिए।

द्वितीयक प्रासंगिकता: जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी)

1. समावेशी विकास और इससे उत्पन्न मुद्दे:

- **कैसे उपयोग करें:** यह चर्चा करने के लिए डेटा का उपयोग करें कि क्या विकास वास्तव में "समावेशी" है यदि आबादी का एक बड़ा हिस्सा (महिलाएं) वित्तीय रूप से शामिल तो हैं लेकिन वित्तीय रूप से सशक्त नहीं हैं।
- **मुख्य बिंदु:**
    - व्यवसाय के लिए महिलाओं के कम उधार लेने (8.4%) या बैंकों में बचत (21.2%) का कम प्रतिशत, महिलाओं के वित्तीय संसाधनों को उत्पादक आर्थिक गतिविधि में चैनल करने में विफलता का संकेत देता है, जो समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

2. उदारीकरण, वैश्वीकरण और डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रभाव:

- **कैसे उपयोग करें:** डिजिटल विभाजन एक महत्वपूर्ण बाधा है।
- **मुख्य बिंदु:**
    - मोबाइल फोन तक पहुंच के आँकड़े (महिलाओं के फोन मालिक होने की 19% कम संभावना, कारण: सुरक्षा, पारिवारिक प्रतिबंध) दर्शाते हैं कि सामाजिक-डिजिटल विभाजन को दूर किए बिना अकेला डिजिटल बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं है। यह प्रौद्योगिकी-नेतृत्व वाले समाधानों की सीमाओं के बारे में एक परिष्कृत बिंदु है।

ग्रेट निकोबार ने प्रकृति के वैधानिक अधिकारों के प्रश्न को फिर जीवित कर दिया है

परिचय

ग्रेट निकोबार द्वीप पर प्रस्तावित विशाल विकास परियोजना — जिसमें एक बंदरगाह, हवाई अड्डा, टाउनशिप और बिजली संयंत्र शामिल हैं — ने *प्रकृति के कानूनी अधिकारों* पर बहस को फिर से प्रज्वलित कर दिया है। यह मुद्दा विकासात्मक आवश्यकताओं और पारिस्थितिक नैतिकता के बीच तनाव को उजागर करता है, और एक मूलभूत प्रश्न उठाता है: **क्या स्वयं प्रकृति को अपनी अखंडता की रक्षा के लिए कानूनी दर्जा प्राप्त हो सकता है?**

मुख्य मुद्दा:

यह परियोजना 13,000 हेक्टेयर से अधिक के अछूते वन क्षेत्र को खतरे में डालती है — जो

पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक वैश्विक कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। यह विवाद इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे मुख्य भूमि की प्राथमिकताओं से प्रेरित विकासात्मक दृष्टिकोण, द्वीप की नाज़ुक पारिस्थितिकी और आदिवासी अधिकारों को अक्सर नज़रअंदाज़ कर देता है।

---

1. न्यायिक उदाहरण: नियामगिरि पहाड़ियां मामला (2013)

मामला: *ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन बनाम पर्यावरण और वन मंत्रालय*

कानून: *वन अधिकार अधिनियम, 2006*

मुद्दा: नियामगिरि पहाड़ियों में बाक्साइट खनन से डोंगरिया कोंध जनजाति की पवित्र भूमि को खतरा था।

निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने ग्राम सभाओं में जनमत संग्रह का आदेश दिया, जिससे स्थानीय समुदायों को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार मिला। ग्रामवासियों ने सर्वसम्मति से परियोजना को अस्वीकार कर दिया।

महत्व:

- सामुदायिक संप्रभुता और परंपरा, सांस्कृतिक पहचान तथा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा में ग्राम सभाओं की क्षमता को मान्यता मिली।
- यह स्थापित हुआ कि पर्यावरणीय संरक्षण *सांस्कृतिक और जनजातीय अधिकारों* से अभिन्न रूप से जुड़ा है।

ग्रेट निकोबार से प्रासंगिकता:

प्रश्न उठता है कि क्या वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जनजातीय परिषद के अधिकारों को वन भूमि के विचलन से पहले पर्याप्त रूप से मान्यता दी गई थी।
रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि प्रशासन ने प्रक्रिया का पालन करने का झूठा प्रमाणपत्र दिया।

---

2. वैचारिक ढांचा: प्रकृति के अधिकार (Rights of Nature)

परिभाषा:

इसे *अर्थ ज्यूरिसप्रुडेंस (Earth Jurisprudence)* भी कहा जाता है — यह वनों, नदियों और पारिस्थितिक तंत्रों जैसी प्राकृतिक संस्थाओं को कानूनी अधिकार देता है, ताकि उन्हें *उपयोग की वस्तु* नहीं बल्कि *कानून के विषय* के रूप में माना जाए।

वैचारिक आधार:

क्रिस्टोफर स्टोन के 1972 के निबंध *"Should Trees Have Standing?"* से प्रेरित, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक संस्थाओं को *कानूनी व्यक्तित्व (Legal Personhood)* देने की वकालत की थी।

तर्क:

MENTORA IAS "YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- मौजूदा पर्यावरणीय कानून नुकसान को *मानव प्रभाव* के रूप में देखते हैं, न कि *पारिस्थितिक क्षति* के रूप में।
- वर्तमान में मुआवजा मनुष्यों को मिलता है, न कि प्रभावित पारिस्थितिक इकाई को।
- यदि प्रकृति को कानूनी व्यक्तित्व दिया जाए, तो वह स्वयं अपने संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए मुकदमा दायर कर सकेगी।

प्रणाली:
प्राकृतिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले *संरक्षक निकाय (Guardianship Bodies)* या *अभिभावक (Custodians)* नियुक्त किए जा सकते हैं।

वैश्विक उदाहरण:

- **इक्वाडोर, बोलिविया, कोलंबिया, न्यूज़ीलैंड** — इन देशों में प्रकृति के अधिकारों को कानून या न्यायिक अभ्यास के रूप में मान्यता दी गई है।

---

3. भारतीय उदाहरण: नदियों के अधिकार

मामला: *मो. सलीम बनाम उत्तराखंड राज्य (2017)*
निर्णय:
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदियों को *जीवित इकाई (Living Entity)* घोषित किया और उन्हें कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया।
उनकी ओर से अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु अभिभावक नियुक्त किए गए।

परिणाम:
सुप्रीम कोर्ट ने बाद में व्यावहारिक कठिनाइयों (जवाबदेही और अधिकार क्षेत्र से जुड़ी) के चलते आदेश पर रोक लगा दी।
फिर भी, यह भारतीय न्यायशास्त्र में *"अभिभावक मॉडल"* की एक अग्रणी पहचान है।

---

4. अंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शन: कोलंबिया का अत्रातो नदी मामला (2016)

निर्णय:
कोलंबिया के संवैधानिक न्यायालय ने *अत्रातो नदी* को एक *कानूनी व्यक्ति* के रूप में मान्यता दी।

प्रमुख अवधारणा:
बायो-सांस्कृतिक अधिकार (Bio-cultural Rights) — यह मान्यता देता है कि पारिस्थितिक तंत्र के अधिकार और आदिवासी समुदायों के अधिकार परस्पर निर्भर हैं।

मुख्य व्यवस्था:

- एक *गार्डियनशिप आयोग* बनाया गया जिसमें प्रभावित आदिवासी प्रतिनिधियों को शामिल किया गया।

MENTORA IAS "YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- पारिस्थितिक क्षेत्रों पर सह-शासन (Co-governance) और सामुदायिक संरक्षण की अवधारणा को बल मिला।

भारत के लिए प्रासंगिकता:

कोलंबियाई मॉडल यह दर्शाता है कि प्रकृति के अधिकारों की कानूनी मान्यता जनजातीय स्वायत्तता और सहभागी संरक्षण के साथ सह-अस्तित्व में रह सकती है।

---

5. सिफारिशें और आगे का रास्ता

a. कानूनी सुधार:

- *वन अधिकार अधिनियम, 2006* में संशोधन कर पारिस्थितिक तंत्रों के *कानूनी व्यक्तित्व* के सिद्धांत को शामिल किया जाए।
- पर्यावरणीय क़ानूनों में प्रकृति को *अधिकार- धारी विषय (Rights-bearing subject)* के रूप में मान्यता दी जाए।

b. संस्थागत व्यवस्था:

- पारिस्थितिक तंत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले *संरक्षक निकायों* का गठन किया जाए, जिनमें जनजातीय और पारिस्थितिकी विशेषज्ञ शामिल हों।
- किसी बड़े पर्यावरणीय परिवर्तन से पहले *ग्राम सभाओं के माध्यम से जनमत संग्रह (Impact Referendums)* अनिवार्य किया जाए।

c. वैचारिक स्पष्टता:

एक बहु-विषयक समिति यह परिभाषित करे कि —

- "अधिकार-धारी प्रकृति" क्या मानी जाएगी?
- इन अधिकारों का दायरा और सीमाएं क्या होंगी?
- *लोकस स्टैंडी* — प्रकृति की ओर से कौन बोल सकता है?
- जवाबदेही की संस्थागत व्यवस्था क्या होगी?

d. कोलंबियाई मॉडल से सीख:

बायो-सांस्कृतिक दृष्टिकोण अपनाया जाए, ताकि पारिस्थितिक तंत्र और समुदाय दोनों संरक्षण की साझा जिम्मेदारी निभा सकें।

निष्कर्ष

ग्रेट निकोबार का मामला केवल एक द्वीप का नहीं है — यह *विकास और पारिस्थितिक न्याय* के बीच चल रहे व्यापक संघर्ष का प्रतीक है। भारत की न्याय व्यवस्था को *मानव-केंद्रित (Anthropocentric)* से *पृथ्वी-केंद्रित (Eco-centric)* दृष्टिकोण की ओर विकसित होना होगा, ताकि प्रकृति के अंतर्निहित अधिकारों को मान्यता मिल सके।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

सच्चा पर्यावरणीय न्याय तभी संभव होगा जब कानून वनों, नदियों और पर्वतों को *संपत्ति* नहीं बल्कि *सह-अस्तित्व के साथी* के रूप में देखेगा।

HOW TO USE IT

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर II (सुशासन, संविधान, सामाजिक न्याय)

---

1. भारतीय संविधान — दार्शनिक आधार (Philosophical Underpinnings)

कैसे उपयोग करें:

"Rights of Nature" (प्रकृति के अधिकार) को संवैधानिक सिद्धांतों से जोड़ें।

मुख्य बिंदु:

- **अनुच्छेद 48A (राज्य के नीति निर्देशक तत्व):** राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए प्रयास करेगा।
- **अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य):** प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे।

तर्क:

इकोसेंट्रिक दृष्टिकोण (Ecocentric View) इन संवैधानिक प्रावधानों का तार्किक और आवश्यक विकास है।
यह संविधान की भावना को और गहराई से पूरा करता है — क्योंकि यह पर्यावरण संरक्षण को *मानव कल्याण का साधन* नहीं, बल्कि *स्वयं में एक उद्देश्य* के रूप में मान्यता देता है।

---

2. कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं एवं संरक्षण तंत्र

कैसे उपयोग करें:

प्रकृति के अधिकारों को जनजातीय और वन-निवासी समुदायों के अधिकारों से जोड़ें।

मुख्य बिंदु:

- **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006:**
  नियामगिरि मामला यह दिखाता है कि *सामुदायिक अधिकार* और *पर्यावरण संरक्षण* एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
  ग्राम सभा की शक्ति — अपने सांस्कृतिक और प्राकृतिक आवास की रक्षा करने की — वास्तव में उस पारिस्थितिकी तंत्र के अधिकारों की *मानवीय मध्यस्थता* के माध्यम से मान्यता है।
- **बायो-सांस्कृतिक अधिकार (कोलंबिया मॉडल):**
  यह अवधारणा बताती है कि *आदिवासी समुदायों के अधिकार* और *उनके निवास पारिस्थितिक तंत्रों के अधिकार* परस्पर निर्भर हैं।
  इनमें से किसी एक का उल्लंघन दूसरे का भी उल्लंघन है।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर III (पर्यावरण, आपदा प्रबंधन)

---

1. संरक्षण, पर्यावरणीय प्रदूषण और क्षरण

कैसे उपयोग करें:
यह सबसे प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। *ग्रेट निकोबार परियोजना* को विकास और संरक्षण के संघर्ष के एक केस स्टडी के रूप में प्रयोग करें।

मुख्य बिंदु:

- **वर्तमान कानूनों की आलोचना:**
  पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA) और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) जैसी व्यवस्थाएँ मूलतः *मानव-केंद्रित* हैं।
  ये "पर्यावरणीय प्रभाव" को मानव स्वास्थ्य और परियोजना लागत के संदर्भ में आँकती हैं — न कि पारिस्थितिकी पर होने वाले आंतरिक नुकसान के आधार पर।
- **ग्रेट निकोबार मामला:**
  13,000 हेक्टेयर के अछूते वनों और वैश्विक कार्बन सिंक को खतरा।
  वन अधिकार अधिनियम (FRA) के अनुपालन में कथित प्रक्रियात्मक चूक इस बात का सबूत हैं कि हमें एक *प्रकृति-केंद्रित कानूनी स्थिति* की आवश्यकता है।
- **समाधान — कानूनी व्यक्तित्व:**
  महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों (जैसे नदियाँ, द्वीप, पर्वतीय क्षेत्र) को *कानूनी व्यक्तित्व* (*Legal Personhood*) प्रदान किया जाए, ताकि वे अदालत में अपने *संरक्षकों* के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर सकें।

द्वितीयक प्रासंगिकता: जीएस पेपर IV (नैतिकता एवं दर्शनशास्त्र)

---

1. मानव-प्रकृति संबंध में नैतिकता

कैसे उपयोग करें:
"Rights of Nature" आंदोलन का मूल नैतिक है — यह मानव और प्रकृति के बीच नैतिक संतुलन की पुनर्स्थापना की मांग करता है।

मुख्य बिंदु:

- **साधनात्मक मूल्य से अंतर्निहित मूल्य तक:**
  वर्तमान में हम प्रकृति का मूल्य *उपयोगिता* (*Instrumental Value*) के आधार पर आँकते हैं — कि यह हमारे लिए क्या कर सकती है।
  "Rights of Nature" दर्शन कहता है कि प्रकृति का मूल्य *उसके अस्तित्व मात्र से है* — यह *Intrinsic Value* रखती है, चाहे वह मनुष्य के लिए उपयोगी हो या नहीं।

MENTORA IAS "YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- **गांधीवादी दर्शन:**
  गांधीजी का विचार — *"दुनिया में सबकी जरूरत के लिए पर्याप्त है, लेकिन सबकी लालच के लिए नहीं।"* यही विचार "इकोसेंट्रिक" नैतिकता की जड़ में है, जो असीम लालच और उपभोगवाद के विरुद्ध एक नैतिक उत्तर प्रस्तुत करता है।

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने बिना शोर-शराबे के व्यावसायिक संबंधों को गहरा किया है

परिचय

भारत–ब्रिटेन (U.K.) की आर्थिक साझेदारी अब एक परिपक्व और व्यवहारिक संबंध के रूप में विकसित हो चुकी है, जो व्यापार, निवेश, रक्षा, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्रों में गहराई तक फैली हुई है।
अन्य पश्चिमी देशों के साथ भारत के अक्सर अस्थिर संबंधों की तुलना में, भारत–ब्रिटेन का रिश्ता *शांत दक्षता* और *राजनीतिक नाटकीयता की अनुपस्थिति* से चिह्नित है।

मुख्य तर्क (Core Thesis):

भारत–ब्रिटेन की आर्थिक साझेदारी परिपक्वता का प्रतीक है — जो स्थिर, अहंकाररहित और गैर-टकरावपूर्ण कूटनीति के माध्यम से व्यावसायिक और रणनीतिक संबंधों को गहराती है।

---

1. संदर्भ और तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य

a. अमेरिका के साथ संबंध:

- यह संबंध महत्त्वपूर्ण होने के बावजूद *अस्थिर और उतार-चढ़ाव भरा* बना रहता है।
- राष्ट्रपति ट्रम्प के कार्यकाल में हुई वार्ताएँ "नाटकीय और अप्रत्याशित" कही गईं, जिनमें सौदों को अचानक बदला गया।

b. यूरोपीय संघ (EU) के साथ संबंध:

- अपेक्षाकृत स्थिर हैं, परंतु सार्वजनिक आश्वासनों और निजी प्रगति के बीच एक *स्पष्ट अंतर* बना हुआ है।

c. यूनाइटेड किंगडम (U.K.) के साथ संबंध:

- यह एक *सकारात्मक अपवाद* के रूप में सामने आता है — स्थिरता, शालीनता और पारस्परिक सम्मान से युक्त।
- संबंध "तेजतर्रार बयानबाज़ी" से दूर रहते हैं और *प्रतीकवाद की बजाय सार्थक परिणामों* पर केंद्रित हैं।

---

2. प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की भारत यात्रा के प्रमुख परिणाम

MENTORA IAS "YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- **प्रतिनिधिमंडल की ताकत:** व्यापार, संस्कृति और शिक्षा जगत से 100 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी।
- **रक्षा सहयोग:** £350 मिलियन का मिसाइल आपूर्ति समझौता — जिससे ब्रिटेन के रक्षा निर्यात को बढ़ावा और भारत की खरीद क्षमता को बल मिला।
- **निवेश प्रतिबद्धताएँ:**
  - 64 भारतीय कंपनियों ने ब्रिटेन में £1.3 बिलियन के नए निवेश का वचन दिया।
  - भारत में ब्रिटिश निवेश की भी उम्मीद है (आधिकारिक घोषणा शेष)।
- **सांस्कृतिक सहयोग:** यशराज फ़िल्म्स (YRF) द्वारा ब्रिटेन में तीन फिल्मों की शूटिंग की योजना — *संस्कृति आधारित कूटनीति* को मज़बूत करती है।
- **शैक्षणिक साझेदारी:** दो ब्रिटिश विश्वविद्यालयों ने भारत में अपने *कैंपस खोलने* की घोषणा की — जो उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण का संकेत है।
- **व्यापारिक आधार:** जुलाई 2025 के व्यापार समझौते पर आधारित यह यात्रा *दीर्घकालिक नीति निरंतरता* का प्रतीक रही।

---

3. संबंधों की गहराई के पीछे तर्क

a. व्यापार की अप्रयुक्त संभावनाएँ:

- भारत, ब्रिटेन के कुल माल निर्यात का *2% से भी कम* हिस्सा है।
- ब्रिटेन, भारत के निर्यात में केवल *3%* का योगदान देता है।
  ➡️ दोनों पक्षों के लिए विस्तार की *असीम संभावनाएँ* मौजूद हैं।

b. रणनीतिक लाभ:

- बढ़ता भारत–ब्रिटेन व्यापार, अमेरिका द्वारा लगाए गए *50% शुल्क* के प्रभाव को संतुलित कर सकता है।
- भारत के लिए *बाज़ार विविधीकरण* से आर्थिक लचीलापन बढ़ता है।

c. घरेलू आर्थिक तर्क:

- भारत का *पूंजीगत व्यय (CapEx)* रक्षा ख़रीद के कारण सीमित है — ऐसे में ब्रिटेन के साथ रक्षा साझेदारी समयानुकूल है।

d. सॉफ्ट पावर तालमेल:

- फ़िल्म और शिक्षा में सहयोग, *जन-से-जन संबंधों* को मजबूत करते हुए आर्थिक कूटनीति को पूरक बनाता है।

---

4. मूल्यांकन: व्यवहारिक कूटनीति का मॉडल

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

भारत–ब्रिटेन साझेदारी यह दर्शाती है कि परिपक्व लोकतंत्र कैसे *पारस्परिक लाभ, पूर्वानुमेयता* और *सम्मान* के आधार पर सहयोग कर सकते हैं।
जहाँ वैश्विक व्यापार राजनीति अक्सर *नाटकीयता और संघर्ष* से भरी होती है, वहीं यह संबंध *शांत व्यवहारिकता* पर आधारित है — जो *प्रदर्शन* की बजाय *परिणामों* को प्राथमिकता देता है।

निष्कर्ष

आज भारत–ब्रिटेन की साझेदारी 21वीं सदी की *आधुनिक कूटनीति का एक आदर्श नमूना* है — जो स्थिरता, व्यावहारिकता और परस्पर सम्मान पर आधारित है।
रक्षा, निवेश, संस्कृति और शिक्षा जैसे बहुआयामी क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से, यह दिखाता है कि राष्ट्र *बिना शोर, बिना अहंकार और बिना टकराव* के साझा समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

HOW TO USE IT

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

1. भारत और उसके पड़ोसी देश- संबंध:

- **कैसे उपयोग करें:** यह सबसे सीधा फिट है। पूरा लेख एक सफल द्विपक्षीय संबंध का केस स्टडी है जिसकी तुलना अन्य संबंधों से की जा सकती है।
- **मुख्य बिंदु:**
    - **द्विपक्षीय कूटनीति:** प्रभावी कूटनीति के सिद्धांतों को दर्शाने के लिए भारत-यूके के उदाहरण का उपयोग करें: प्रतीकात्मकता से परे substance, आपसी सम्मान और नीतिगत निरंतरता (जुलाई 2025 के व्यापार समझौते पर नई यूके सरकार द्वारा निर्माण करना इसका प्रमाण है)।
    - **तुलनात्मक विश्लेषण:** भारत-यूके संबंधों की "स्थिर और सभ्य" प्रकृति की तुलना भारत-अमेरिका के "अनियमित" संबंधों और भारत-ईयू की "धीमी गति वाली" वार्ताओं से करें। यह भारत की विदेश नीति के परिदृश्य की सूक्ष्म समझ दर्शाता है।
    - **सहयोग के लिए एक टेम्पलेट:** इस साझेदारी को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें कि कैसे भारत अन्य विकसित देशों के साथ व्यापार, रक्षा और सॉफ्ट पावर में शांत दक्षता

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

और मूर्त परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके जुड़ सकता है।

2. भारत को शामिल करने वाले और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते:

- **कैसे उपयोग करें:** साझेदारी के विशिष्ट परिणाम यहां मुख्य हैं।
- **मुख्य बिंदु:**
    - **व्यापार समझौता:** जुलाई 2025 का व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता है जो गहरे सहयोग की नींव रखता है।
    - **रक्षा सहयोग:** 350 मिलियन पाउंड का मिसाइल आपूर्ति सौदा रणनीतिक संबंधों को गहरा करने और रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' का उदाहरण है।
    - **सॉफ्ट पावर और संस्कृति:** यश राज फिल्म्स के साथ सहयोग और भारत में यूके विश्वविद्यालयों का प्रवेश उदाहरण हैं कि कैसे सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंध कठिन रणनीतिक और आर्थिक हितों के पूरक हैं।

द्वितीयक प्रासंगिकता: जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था, सुरक्षा)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था:

- **कैसे उपयोग करें:** यूके के साथ संबंध मजबूत करने के पीछे आर्थिक तर्क एक महत्वपूर्ण बिंदु है।
- **मुख्य बिंदु:**
    - **निवेश प्रवाह:** यूके में 64 भारतीय कंपनियों द्वारा 1.3 बिलियन पाउंड के निवेश की प्रतिबद्धता और अपेक्षित पारस्परिक निवेश पूंजी प्रवाह और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देते हैं।
    - **बाजार विविधीकरण:** निर्यात में विविधता लाने की रणनीतिक आवश्यकता पर प्रकाश डालें। यूके भारत के निर्यात का केवल 3% हिस्सा है, इसलिए विकास की अपार संभावना है। यह भारतीय सामानों पर अमेरिका के 50% टैरिफ जैसे व्यापार झटकों को कम करने में भी मदद करता है।
    - **राजकोषीय दबाव कम करना:** यूके से रक्षा खरीद को

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

भारत के सीमित पूंजीगत व्यय से जोड़ा जा सकता है, जो राष्ट्रीय बजट में trade-offs की समझ दर्शाता है।

2. सुरक्षा:

- **कैसे उपयोग करें:** रक्षा साझेदारी संबंधों का एक प्रमुख तत्व है।
- **मुख्य बिंदु:**
  - मिसाइल सौदा भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है, साथ ही यूके के रक्षा उद्योग को भी मजबूत करता है, जिससे यह एक क्लासिक win-win रणनीतिक साझेदारी बन जाती है।

To join our Most Affordable and Quality Mains EVALUATION PLANS

VISIT – WWW.MENTORAIS.CO.IN

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"